उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-171/2019/2006/92-2-19-23एम/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 21 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोण्डा में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये गये कतिपय निर्माण कार्य की जांच में अंतर्ग्रस्त अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी के रूप में श्री ए0 के0 गर्ग, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर द्वारा प्रेषित जांच आख्या का शासन स्तर पर परीक्षण के उपरान्त उक्त जांच आख्या को तथ्यपरक न पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06-06-2016 द्वारा प्रश्नगत जांच कार्यवाही में जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री गर्ग के स्थान पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 को जांच अधिकारी नामित किया गया। श्री गर्ग द्वारा अपनी जांच आख्या को यथावत रखने के लिये मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 पर परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा तथा असफल होने पर द्वेष भावना के चलते दि0 18.11.2016 को प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभागीय बैठक में श्री गर्ग द्वारा विभाग के कई अन्य अभियंताओं के समक्ष श्री शैलेष, तत्का0 मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को असंसदीय एवं अमर्यादित शब्दों (जिनका उल्लेख किया जाना उचित नहीं है) का प्रयोग करते हुये उन्हें अपमानित किया गया तथा देख लेने की धमकी दी गयी। श्री गर्ग द्वारा उक्त कृत्य को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(2) का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 23-03-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 29-08-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री ए0के0 गर्ग द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि शिकायतकर्ता श्री शैलेष कुमार अग्रवाल, तत्का0 मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 द्वारा की गयी शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में बार-बार साक्ष्य/अभिलेख की मॉग किये जाने के बाद भी उनके द्वारा किसी ठोस/प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है, जबकि ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 के पत्र दि0 10-05-2019 से यह अवश्य स्पष्ट हुआ है कि प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में दि0 18-11-2016 को हुई बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई थी। उक्त वर्णित स्थिति एवं शिकायतकर्ता श्री शैलेष कुमार अग्रवाल एवं अपचारी अधिकारी, श्री ए0के0 गर्ग के उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर क्रमशः 31-12-2018 एवं 31-08-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 23-03-2017 द्वारा श्री ए0के0 गर्ग, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता से मॉगे गये स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-171/2019/2006(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री ए0के0 गर्ग, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।